न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 49/2024

प्रार्थी–

तेजराज दत्तक पुत्र श्री भागचन्द,
जाति महाजन, निवास मोरियाना, तहसील रियाबड़ी,
हाल निवासी पीह, तहसील परबतर, जिला मागीर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. अशोक कुमार पुत्र नोरतमल
2. मंजू पुत्री श्री नोरतमल
3. मीनाक्षी पुत्री श्री नोरतमल
4. लीला पुत्री श्री नोरतमल
5. शांतिदेवी पत्नी श्री नोरतमल
6. कान्तादेवी पुत्री श्री भागचन्द
7. तारादेवी पुत्री श्री भागचन्द
8. पंकजदेवी पुत्री श्री भागचन्द
9. रेखादेवी पुत्री श्री भागचन्द
10. संगीतादेवी पुत्री श्री भागचन्द
11. सम्पतिदेवी उर्फ गीतादेवी पुत्री श्री भागचन्द
    सभी जाति महाजन, निवासीगण मोरियाना, तहसील रियांबड़ी
    हाल निवासी पीहर, तहसील परबतसर जिला नागौर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
13. पटवारी हल्का, मोड़ी कलां
14. उप पंजीयक, भैरून्दा / रियांबड़ी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 27/8/2024

श्रीमान जी, प्रार्थी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है–

1. यह है कि प्रार्थी ने अनुवान सदर का एक वाद श्रीमान जी के न्यायालय में पेश किया है, जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है। जिसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पूरी–पूरी आशा है।
2. यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 एक ही परिवार के सदस्य है। सभी हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है। प्रार्थी के पिता भागचन्द व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के पिता नोरतमल सगे भाई थे।
3. यह है कि ग्राम मोरियाना की सरहद में स्थित खत खसरा नं. 500 रकबा 2.8200 हैक्टेयर, खसरा नं. 510 रकबा 2.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 4.8300 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 6 से 11 की संयुक्त खातेदारी में तथा खसरा नं. 497 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नं. 503 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नं. 504 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नं. 507 रकबा 3.5500 हैक्टेयर कुल रकबा 4.4900 हैक्टेयर अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि प्रार्थना पत्र में आगे विवादित खसरान के नाम से सम्बोधित की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता भागचन्द व उनके भाई नोरतमल की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। भागचन्द जी व नोरतमल जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थगण सं. 1 से 11 की पैतृक भूमि है।

5. यह है कि अप्रार्थी सं. 1 मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, जिससे नोरतमल जी देहांत के बाद अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की शादी प्रार्थी ने ही की तथा अप्रार्थी सं. 2 का मायरा भी प्रार्थी ने भरा तथा नोरतमल जी के देहांत के बाद उनके समस्त क्रियाकर्म भी प्रार्थी ने ही सम्पन्न करवाये। जिसमें प्रार्थी के करीब 25—26 लाख रूपये खर्च हुवे। जिसकी ऐवज में अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 ने खसरा न, 497, 503, 504, 507 कुल रकबा 4.4900 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा प्रार्थी को सुपुर्द करके प्रार्थी का कब्जा कर दिया। जिसरो खरारा नं. 497, 503, 504, 507 कुल रकबा 4.4900 हैक्टेयर में रो 1/2 हिस्सा प्रार्थी की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद है।

6. यह है कि अप्रार्थगण सं. 6 से 11 ने खसरा नं. 500 व 510 कल रकबा 4.8300 हैक्टेयर में अपने हक व बंट की ऐवज में प्रार्थी से सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है तथा वादग्रस्त खसरा नं. 500 व 510 में अपना कोई बंट नहीं रखा है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा नं. 500 व 510 कुल रकबा 4. 8300 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

7. यह है कि वादग्रस्त खसरान की खातेदारी में अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 का नाम दर्ज है। मगर वादग्रस्त खसरा नं. 497, 503, 504, 507 कुल रकबा 4.4900 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा की भूमि प्रार्थी काश्त व कब्जासुद है।

8. यह है कि कि अप्रार्थगण सं. 1 से 5 आपस में मिले हुवे है तथा अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 ने अप्रार्थी सं. 1 को अपनी नाजायज बहकावट व सिखावट में ले रखा है। विवादित खसरान की खातेदारी अप्रार्थी सं.1तैउके नाम दर्ज होने से अप्रार्थगण की नियत में फर्क आ गया है और अप्रार्थीगण बदनियति से अन्य लोगों से मिलावट करके वादग्रस्त खसरा नं. 497, 503, 504, 507 कुल रकबा 4.4900 हैक्टेयर का बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को वादग्रस्त खसरान की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को काश्त नहीं करने दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र हाजा प्रस्तुत है।

9. यह है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थगण के विरूद्ध तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण ग्राम मोरियाना की सरहद में स्थित खत खसरा नं. 500 रकबा 2.8200 हैक्टेयर, खसरा नं. 310 रकबा 2.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 4. 8300 हैक्टेयरी ला खसरा नं. 497 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नं. 503 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नं. 504 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नं. 507 रकबा 3. 5500 हैक्टेयर कुल रकबा 4.4900 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा में प्रार्थी के काश्त व कब्जा में अप्रार्थगण किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करवावें तथा उक्त खसरान की भूमि का बेचान व हस्तान्तरण किसी को भी किसी भी रूप में न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करवावे तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण आदि प्राप्त नहीं करें तथा अप्रार्थगण सं. 12 व 13 राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें तथा अप्रार्थी सं. 14 के यहां वादग्रस्त खसरा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अन्तरण दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर एकतरफा बहस सुनी गई। एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया व पत्रावली वास्ते तलबी हेतु जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.05.24 को पेश हुई। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि मौके पर बंटवाडा के माफिक काश्त काबिज है। सभी सहखातेदार है। अप्रार्थीगण की भूमि पैतृक है। प्रार्थी झूठे तरीके से गोदपुत्र भागचंद बना जबकि वह गोदपुत्र नही है। उक्त भूमि को हडपना चाहता है। अपने पिता की भूमि मे से ही हिस्सेदार है एवं स्वर्गीय भागचंद व नोरतमल की खातेदारी की भूमि को भी अकेला हडपना चाहता है जबकि वैध खातेदारो की भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी नही दी जा सकती है। गलत तरीके से हडप करने के लिये यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्त है। इसलिये सभी सहखातेदार अपनी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का स्वतंत्र अधिकार है। इसलिये उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला—नागौर

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहखातेदार है इसलिये रिकॉर्डेड खातेदारो के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को तय करते समय तीन बिन्दु विचारणीय है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति यह तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है। क्योकि सभी खातेदार है इसलिये उनके विरूद्व किसी अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उनके हितो के विरूद्व है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया । उपरोक्त वादग्रस्त खसरान में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है जो उचित नही है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 06.05.2024 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी-नागौर